सप्तदश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-17 **मंगलवार, दिनांक-16 मार्च, 2021 ई० ।**

माननीय अध्यक्ष श्री विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 12.38 बजे अपराह्न तक ।

सदन की कार्यवाही प्रारंभ होते ही विपक्ष के कतिपय माननीय सदस्यगण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर शोर-गुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा कहा गया कि कार्य स्थगन के समय पर इसे उठाएँ ।

तत्पश्चात् माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए ।

[1] प्रश्नकाल :-

(i) 04 अल्पसूचित प्रश्न उत्तरित ।

(ii) 01 अल्पसूचित प्रश्न अनागत ।

(iii) 16 तारांकित प्रश्न उत्तरित ।

(iv) 01 तारांकित प्रश्न संख्या-2005 कृषि विभाग में स्थानांतरित ।

(v) 01 तारांकित प्रश्न अपृष्ट ।

(vi) 175 तारांकित प्रश्न अनागत ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-'क'-16 के उत्तर के दौरान आसन द्वारा माननीय मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग को इस विषय का निदान निकाल कर सदन को सूचित करने का निदेश दिया गया ।

[2] आसन का संदेश:-

आसन द्वारा कहा गया कि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य हों या विपक्ष के माननीय सदस्य हों, वह आसन को किसी न किसी पक्ष की तरफ बेवजह प्रभावित होने की बात कह रहे हैं । यह सरासर बेबुनियाद और गलत है । आसन की विश्वसनीयता पर टीका-टिप्पणी करने से आप सब अपनी विश्वसनीयता खोते हैं । जनता बहुत संवेदनशील और सूक्ष्म समालोचक है, वह संवैधानिक पद पर बैठे लोगों के मनोभाव को बड़ी आसानी से समझ लेती है । इस तरह की मानसिकता त्याग कर, हमारी सदन की गरीमा बढ़े, जनता का हित हो, इसके लिए आप

अपनी-अपनी जिम्मेवारी के प्रति सजग रहें । संवैधानिक प्रावधानों और लोकतांत्रिक मान्यता में यह आसन सभी माननीय सदस्यों के हितों का संरक्षक है । पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने वाले आसन से सभी लोग प्रसन्न नहीं हो सकते। आसन नियमों और परंपराओं से सर्वजन हिताय के साथ काम करता है और निर्णय लेता है । किसी पर सदन के अन्दर व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप लगाने से पूर्व पूरी प्रमाणिकता के साथ लिखित रूप से आसन को सूचित करें तथा आसन की सहमति पर ही मर्यादित ढंग से अपनी बात को रखें ताकि जिनपर आरोप लगे, उन्हें भी अपना लिखित और मौखिक पक्ष रखने का मौका मिले । सदन में आप संयमित और मर्यादित आचरण करें ताकि किसी की भावना आपके व्यवहार से आहत न हो, एक बेहतर संदेश जाय । दबाव बनाने वाले सदस्य अपनी बेहतर छवि को धूमिल करते हैं । ये कार्य कतई न करें । सभी याद रखें कि जीवन नश्वर है, जिनका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु अटल है । जो आएं है, वह जाएंगे । ऐसे में व्यवहार और कार्य ही हमलागों को जिन्दा रखेगा ।

[3] <u>कार्य स्थगन प्रस्ताव</u> :-

माननीय सदस्य श्री महबूब आलम, श्री सुदामा प्रसाद, श्री अरूण सिंह, श्री अजय कुमार, श्री मनोज मंजिल, श्री रामबली सिंह यादव एवं श्री समीर कुमार महासेठ से प्राप्त कार्य स्थगन प्रस्ताव नियमानुकूल नहीं रहने के कारण आसन द्वारा अमान्य किये जाने की घोषणा की गयी ।

[4] <u>शून्यकाल</u> :-

शून्यकाल की सूचना के अन्तर्गत निम्नांकित माननीय सदस्यों द्वारा राज्य की विभिन्न समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया :-

(i)	श्री अखतरूल ईमान	(ii)	श्री मो० इजहार असफी
(iii)	श्रीमती भागीरथी देवी	(iv)	श्री संजय सरावगी
(v)	श्री कुमार शैलेन्द्र	(vi)	श्री महबूब आलम
(vii)	श्री मिथिलेश कुमार	(viii)	श्रीमती शालिनी मिश्रा
(ix)	श्री समीर कुमार महासेठ	(x)	श्री अजीत शर्मा
(xi)	श्री संजय कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तिवारी	(xii)	श्री सुधाकर सिंह
(xiii)	श्री आनंद शंकर सिंह	(xiv)	श्री रामबली सिंह यादव
(xv)	श्री अरूण सिंह	(xvi)	श्री ललित नारायण मंडल
(xvii)	श्री राकेश कुमार रौशन	(xviii)	श्री मनोज मंजिल
(xix)	श्री आलोक कुमार मेहता	(xx)	श्री जय प्रकाश यादव
(xxi)	श्री कृष्णनंदन पासवान	(xxii)	श्री विद्या सागर केशरी
(xxiii)	श्री मुकेश कुमार यादव	(xxiv)	श्री ललल कुमार
(xxv)	श्री विजय कुमार	(xxvi)	श्री विजय कुमार खेमका
(xxvii)	श्री सत्तानन्द सम्बुद्ध उर्फ ललन	(xxviii)	श्री अजय कुमार
(xxix)	श्री राम विशुन सिंह	(xxx)	श्री रामचन्द्र प्रसाद
(xxxi)	श्री विनय कुमार	(xxxii)	श्री अमरजीत कुशवाहा
(xxxiii)	श्री पवन कुमार यादव	(xxxiv)	श्रीमती रेखा देवी
(xxxv)	श्री वीरेन्द्र प्रसाद गुप्ता	(xxxvi)	श्री अरूण शंकर प्रसाद
(xxxvii)	श्री पवन कुमार जायसवाल	(xxxviii)	श्री संदीप सौरव
(xxxix)	श्री अजीत कुमार सिंह	(xl)	श्रीमती नीतू कुमारी
(xli)	श्री अवध विहारी चौधरी	(xlii)	श्रीमती रश्मि वर्मा
(xliii)	श्री गोपाल रविदास	(xliv)	श्री मुकेश कुमार रौशन
(xlv)	श्री मुरारी मोहन झा	(xlvi)	श्री प्रणव कुमार

माननीय सदस्य श्री अरूण सिंह, श्री मनोज मंजिल, श्री अजीत कुमार सिंह को उनकी शून्यकाल की सूचना के संक्षिप्त होने के कारण आसन द्वारा धन्यवाद दिया गया ।

शून्यकाल के लिए सूचीबद्ध कुल 62 सूचनाओं में से शेष 16 को आसन द्वारा समयाभाव के कारण पढ़ा हुआ मानते हुए शून्यकाल समिति को सुपुर्द किए जाने का निदेश दिया गया ।

[5] ध्यानाकर्षण सूचनाएँ :-

(i) माननीय सदस्य, श्री भूदेव चौधरी एवं अन्य सभासदों का कृषि विभाग से संबंधित तथा दिनांक-08 एवं 13 मार्च, 2021 से स्थगित ध्यानाकर्षण सूचना का उत्तर माननीय मंत्री, कृषि विभाग, श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा दिया गया ।

(ii) माननीय सदस्य, श्री आनन्द शंकर सिंह एवं अन्य सभासदों का सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री आनन्द शंकर सिंह द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय प्रभारी मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा इसके उत्तर के लिए सदन से समय लिया गया ।

(iii) माननीय सदस्य, श्री राज कुमार सिंह एवं अन्य सभासदों का शिक्षा विभाग से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना को माननीय सदस्य, श्री राज कुमार सिंह द्वारा पढ़ा गया तथा माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा इसका उत्तर दिया गया ।

तत्पश्चात् सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

भोजनावकाश के बाद

(02.00 बजे अपराह्न से 05.15 बजे अपराह्न तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

[6] वित्तीय कार्य :-

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों [खंड-11 (गृह विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, निगरारी विभाग तथा निर्वाचन विभाग)] पर वाद-विवाद एवं मतदान :-

माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांगों में से गृह विभाग से संबंधित अनुदान की मांग को प्रस्तुत किया गया ।

अनुदान की मांग पर कटौती का प्रस्ताव माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे द्वारा प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान की मांग के मूल प्रस्ताव एवं इस पर प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर वाद-विवाद में निम्नांकित माननीय सदस्यों ने भाग लिया :-

(i) श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल

माननीय नेता विरोधी दल के वक्तव्य के दौरान पक्ष एवं विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा आपस में आरोप-प्रत्यारोप से सदन में शोर-गुल होने लगा ।

आसन द्वारा सदन में शान्ति बनाए रखने का अनुरोध किया गया तथा कहा गया कि वाद-विवाद का अर्थ यह नहीं है कि वातावरण तनावपूर्ण बने । व्यक्तिगत दोषारोपण से समस्या का निदान नहीं हो सकता है । सौहार्दपूर्ण वातावरण में माननीय सदस्यगण अपना-अपना पक्ष रखें तथा सकारात्मक सुझाव भी दें ।

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री विजय कुमार चौधरी द्वारा कहा गया कि हम सभी जनता के हित में विमर्श करने के लिए आए हैं और सभी सम्मानित सदस्य हैं तथा जनता के प्रतिनिधि हैं । हमलोगों को एक-दूसरे पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए, इससे सदन में अशोभनीय स्थिति उत्पन्न होती है, इसलिए हमें हमेशा संयमित तथा मर्यादित आचरण करना चाहिए।

(ii) श्री राम प्रवेश राय

(iii) श्री महबूब आलम

(iv) श्री पवन कुमार जायसवाल

(v) श्री सिद्धार्थ सौरव

(vi) श्री मो० अनजार नईमी

(vii) श्री अजय कुमार

(viii) श्री सूर्य कान्त पासवान

(ix) श्री अनिल कुमार

(x) श्री राज कुमार सिंह

आसन द्वारा सदन की सहमति से आज के लिए सूचीबद्ध कार्यक्रम की समाप्ति तक सदन की अवधि का विस्तार किया गया ।

तत्पश्चात् सरकार की ओर से माननीय प्रभारी मंत्री, गृह विभाग, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा वाद-विवाद का उत्तर दिया गया ।

तदुपरान्त माननीय सदस्य श्री विजय शंकर दूबे का कटौती प्रस्ताव सदन से अस्वीकृत हुआ तथा गृह विभाग से संबंधित अनुदान की मांग का मूल प्रस्ताव सदन से स्वीकृत हुआ ।

तत्पश्चात् अनुदान की शेष मांगें बारी-बारी से गिलोटीन (मुख्यबंध) द्वारा सदन से स्वीकृत हुआ ।

[7] **आसन की सूचना :-**

आसन द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा गठन के बाद सभी माननीय सदस्यों के जीवन-परिचय का एक पुस्तक सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की जाती है, जिसके लिए आप सभी माननीय सदस्यों से जीवन परिचय की मांग की गई थी, किन्तु अबतक मात्र 83 माननीय सदस्यों द्वारा ही जीवन परिचय उपलब्ध कराया गया है । साथ ही आग्रह किया गया कि आप सभी माननीय सदस्यगण चलते सत्र में ही अपना जीवन-परिचय उपलब्ध करा दें ताकि पुस्तक का प्रकाशन किया जा सके ।

तदुपरान्त् माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्री राम सूरत कुमार द्वारा उनके उपर लगे आरोप के संदर्भ में अपना पक्ष रखा गया ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक बुधवार, दिनांक-17 मार्च, 2021 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-16.03.2021

राज कुमार सिंह
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।